अध्याय I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अर्जित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1:- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	**राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	57,380.34	59,244.98	60,283.44	74,807.98	87,346.38
	• कर-भिन्न राजस्व[2]	18,603.01	15,714.16	13,653.02	18,754.95	20,564.43
	योग	**75,983.35**	**74,959.14**	**73,936.46**	**93,562.93**	**1,07,910.81**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	41,852.35	36,049.14	35,575.77	54,030.61	57,230.79
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	20,037.32	29,105.53	24,795.65	36,326.48	29,846.33[5]
	योग	**61,889.67**	**65,154.67**	**60,371.42**	**90,357.09**	**87,077.12**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**1,37,873.02**	**1,40,113.81**	**1,34,307.88**	**1,83,920.02**	**1,94,987.93**
4	**1 का 3 से प्रतिशत**	**55**	**53**	**55**	**51**	**55**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें।

3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। शीर्ष 0005- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-वित्त लेखों में दर्ज राज्यों को सौंपी गयी शुद्ध प्राप्तियों का भाग।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें।

5 इसमें जीएसटी के अमल में आने से हुई राजस्व हानि के लिए प्राप्त ₹ 4,259.90 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व (₹ 1,07,910.81 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,987.93 करोड़) का 55 प्रतिशत रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान शेष 45 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

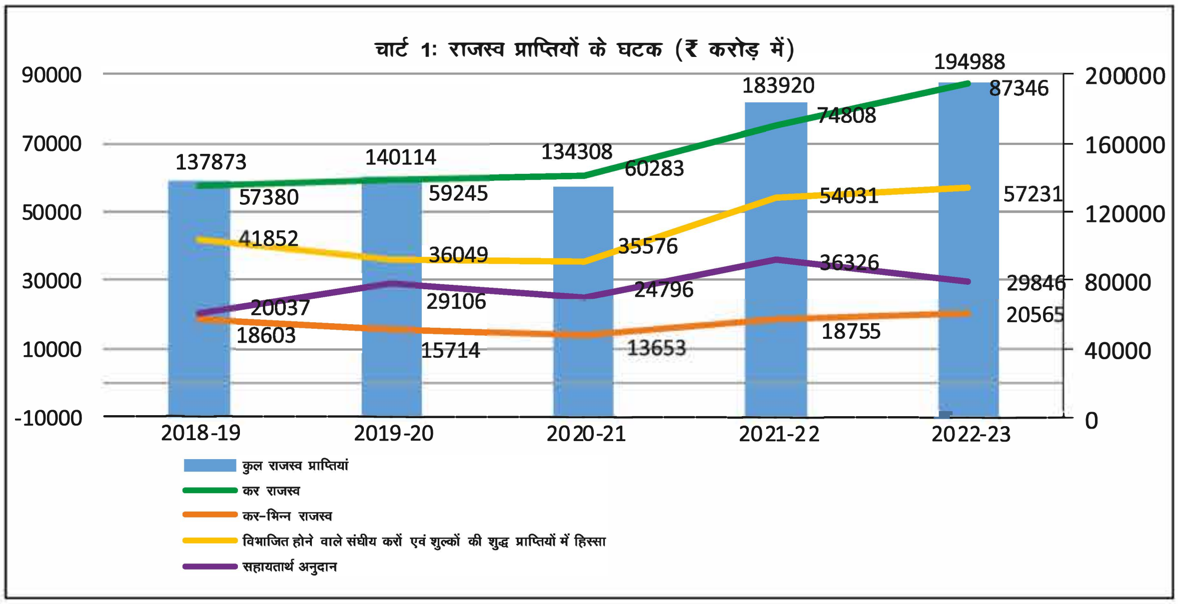

चार्ट 1: राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)

1.1.2 अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान अर्जित कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 कर राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	14,225.31	15,361.61	17,146.94	19,983.79	22,017.35	(+) 10.18
	केन्द्रीय बिक्री कर	565.65	481.15	332.09	621.61	709.79	(+) 14.19
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	22,938.33	21,954.17	20,754.87	27,501.90	33,790.48	(+) 22.87
3	आबकारी शुल्क	8,694.10	9,591.63	9,853.00	11,807.34	13,325.85	(+) 12.86
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	60.70	61.88	47.87	56.13	81.84	(+) 45.80
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	3,255.34	3,544.91	4,571.89	5,560.25	7,032.06	(+) 26.47
	पंजीयन शुल्क	569.99	627.94	677.51	875.53	1,075.29	(+) 22.82
5	मोटर वाहनों पर कर	4,576.45	4,950.98	4,368.17	4,758.92	6,128.17	(+) 28.77
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,147.95	2,262.77	2,142.39	2,606.19	2,625.17	(+) 0.73
7	भू-राजस्व	289.94	364.49	279.32	631.48	484.01	(-) 23.35
8	माल एवं यात्रियों पर कर	50.79	41.12	45.18	171.17	7.81	(-) 95.44
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.14	1.01	1.23	11.21	0.56	(-) 95.00
10	अन्य कर[6] इत्यादि	0.65	1.32	62.97	222.46	68.00	(-) 69.43
	योग	**57,380.34**	**59,244.98**	**60,283.44**	**74,807.98**	**87,346.38**	**(+) 16.76**
	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	**13.39**	**3.25**	**1.75**	**24.09**	**16.76**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

6 अन्य करों में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

वर्ष 2022-23 में, समग्र कर राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 16.76 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

संबंधित विभागों ने सूचित किया कि:

- 'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क' (26.14 प्रतिशत) में वृद्धि लंबित प्रकरणों में वसूली, प्रभावी मॉनिटरिंग, डीएलसी दरों में वृद्धि तथा सम्पत्ति की खरीद-बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'बिक्री, व्यापार पर कर (10.18 प्रतिशत) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर' (22.87 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण उपलब्ध नहीं कराये गए।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2: राज्य का राजस्व

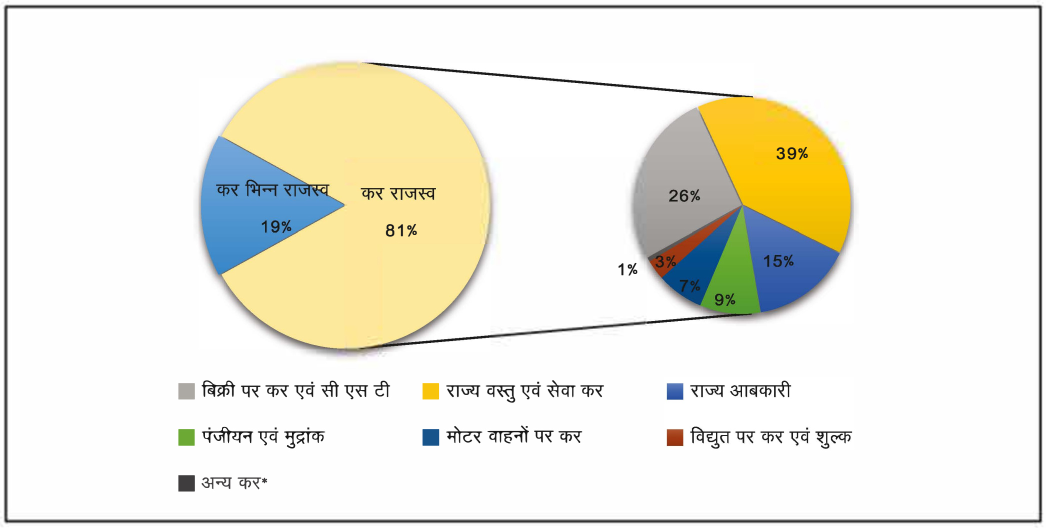

1.1.3 वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3 कर-भिन्न राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	5,301.48	4,579.09	4,966.39	6,395.15	7,212.90	(+) 12.79
ब्याज प्राप्तियां	5,790.87	3,851.99	2,693.15	1,628.18	2,030.43	(+) 24.71
विविध सामान्य सेवायें	783.86	915.51	747.01	2,591.41	2,970.63	(+) 14.63
पुलिस	345.38	641.68	192.54	532.37	474.33	(-) 10.90
अन्य प्रशासनिक सेवायें	246.49	207.16	146.62	498.32	175.97	(+) 64.69
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	179.31	77.19	245.47	193.94	186.91	(-) 3.62
वानिकी एवं वन्य जीवन	147.45	109.47	73.67	119.60	172.88	(+) 44.55

सार्वजनिक निर्माण	125.92	91.91	92.98	108.88	243.65	(+) 123.78
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	163.59	238.16	227.09	270.31	201.35	(-) 25.51
सहकारिता	22.24	9.11	95.75	9.40	22.29	(+) 137.13
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां[7]	5,496.42	4,992.89	4,172.35	6,407.39	6,873.09	(+) 7.27
योग	**18,603.01**	**15,714.16**	**13,653.02**	**18,754.95**	**20,564.43**	**(+) 9.65**
पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	**18.23**	**(-) 15.53**	**(-) 13.12**	**37.37**	**9.65**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2022-23 में, पिछले वर्ष की तुलना में कर-भिन्न राजस्व संग्रहण में 9.65 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई थी। संबंधित विभागों ने सूचित किया किः

- 'वानिकी एवं वन्यजीव' के अंतर्गत राजस्व में वृद्धि (44.55 प्रतिशत) जलाऊ लकड़ी, चारकोल और तेंदू पत्ते के व्यापार से हुई अधिक आय के कारण थी।
- 'सार्वजनिक निर्माण' के अंतर्गत राजस्व में वृद्धि (123.78 प्रतिशत) मुख्य रूप से कोविड-19 मामलों में कमी के कारण निर्माण कार्यों के सुचारू संचालन के कारण थी।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2023 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 11,122.98 करोड़ थी, इसमें से ₹ 4,621.06 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**राजस्व शीर्ष**	**1 अप्रैल 2022 को कुल बकाया राशि**	**31 मार्च 2023 को कुल बकाया राशि और पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत**		**31 मार्च 2023 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि**
1	वाणिज्यिक कर	12,105.72	7,579.67	(-) 37.39	3,726.04
2	परिवहन	50.07	33.63	(-) 32.83	24.47
3	भू-राजस्व	217.03	184.45	(-) 15.01	98.67
4	वृहद एवं मध्यम सिंचाई*	2.99	3.16	(+) 5.69	1.89
5	पंजीयन एवं मुद्रांक	681.73	549.15	(-) 19.45	248.60
6	भूमिकर	515.54	1,200.75	(+) 132.91	232.39
7	राज्य आबकारी	1,484.01	1,313.28	(-) 11.50	184.58
8	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	283.89	258.89	(-) 8.81	104.42
	योग	**15,340.98**	**11,122.98**	**(-) 27.49**	**4,621.06**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

7 अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मत्स्य पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि से हुई आय, शामिल हैं।

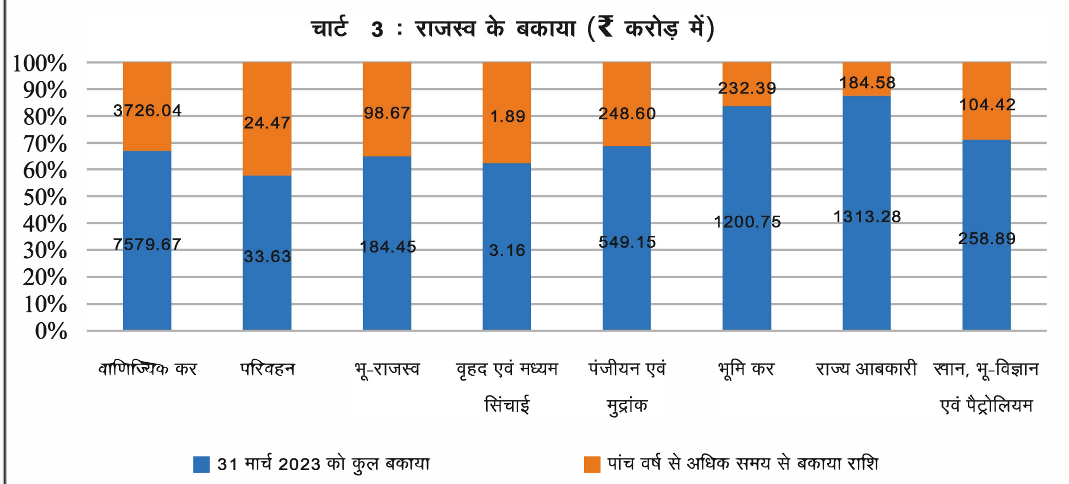

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है:

तालिका 1.5: बकाया कर निर्धारण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम		प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2022-23 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर		01	4,443	4,444	4,443	1	99.98
पंजीयन एवं मुद्रांक	पंजीयन एवं मुद्रांक	4,597	5,719	10,316	5,161	5,155	50.03
	भूमिकर	10,754	9,098	19,862	2,050	17,812	10.32
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम		10,579	10,434	21,553	7,555	14,042	35.05
परिवहन		1,032	20,006	21,038	20,017	1,021	95.15

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग ने अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। तथापि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान कर अपवंचना के 855 मामले ध्यान में आये, जिसमें विभाग की प्रति-अपवंचना विंग के मामले भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 782 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी की गई, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान पाए गए मामले शामिल थे। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 1,415.77 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 136.43 करोड़ की वसूली की।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2022-23 के दौरान कर अपवंचना के 1,386 मामले ध्यान में आये। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹ 16.66 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 4.94 करोड़ की वसूली की।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना अनुसार वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2022-23 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या **तालिका 1.6** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.6: प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर विभाग		पंजीयन एवं मुद्रांक		परिवहन		खान एवं भू-विज्ञान और पेट्रोलियम	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	1,482	138.04	1,400	11.59	669	3.13	3	2.75
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,817	300.31	2,065	17.18	379	4.17	2	0.27
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	3,411	150.84	1,438	9.72	687	3.39	3	0.35
4.	अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	1,891	222.15	334	3.64	47	0.18		
5.	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	997	65.36	1,693	15.41	314	3.73	2	2.67

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए जिससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार को बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का

पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिकृत करती है कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत और कार्यप्रणाली, सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 और लेखापरीक्षा मानक 2017 में निर्धारित की गई हैं।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की गयी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट अभिभाषण, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 2,029 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं। उनमें से, वर्ष के दौरान 169 इकाईयों की योजना बनायी गयी एवं इनकी लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 8.33 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' फेज-II एवं 'जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर भी दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों[8] के 1,837 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹ 1865.98 करोड़ के 5,263 अनुच्छेद सितम्बर 2023 के अन्त में बकाया थे जैसा कि **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: सितंबर 2023 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की संख्या

विवरण	सितम्बर 2021 (मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2022 (मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2023 (मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,799	1,855	1,837
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	5,308	5,255	5,263
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1656.71	1,305.64	1,865.98

1.8.1 30 सितम्बर 2023 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों का विभागवार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	536	1,687	631.08
2	भू-राजस्व	भू-राजस्व	125	598	195.09
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,047	2,616	371.31
4	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	129	362	668.50
योग			**1,837**	**5,263**	**1865.98**

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और बकाया अनुच्छेदों के संदर्भ में लंबितता पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सबसे अधिक है, जबकि बकाया अनुच्छेदों में सन्निहित राशि राज्य आबकारी विभाग में सबसे अधिक है।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[9] का गठन किया। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा

---

8 चार मुख्य राजस्व विभाग अर्थात वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

9 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा उप-समितियाँ भी गठित की गयी है।

समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा उनमें निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है:

तालिका 1.9 लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	वाणिज्यिक कर	3	5	75	11.66
2	भू-राजस्व	1	-	-	-
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	3	10	115	2.83
4	राज्य आबकारी	2	1	8	0.17
योग		**9**	**16**	**198**	**14.66**

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 14.66 करोड़ के 198 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद संबंधित विभागों[10] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें।

अठारह प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के 16 अनुच्छेदों में संकलित), सम्बंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को जुलाई और दिसम्बर 2024 के मध्य प्रेषित किये गये थे। सम्बंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां (एटीईएन) जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 को समाप्त वर्षों के

10 वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 80 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 06 मार्च 2018 से 22 सितम्बर 2022 के मध्य प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेदों पर भू-राजस्व एवं राज्य आबकारी विभागों के एटीईएन की प्राप्ति में विलम्ब पांच से 81 दिवस के बीच था। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 18 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और सात अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को जनलेखा समिति के पाँच[11] प्रतिवेदनों (2022-23) में सम्मिलित किया गया।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व,पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग की 169 लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच और वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' फेज-II एवं 'जीएसटी के अंतर्गत ई वे प्रणाली' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत मामलों की जांच मे 27,982 मामलों में कुल ₹ 1,020.28 करोड़ राशि के रूपांतरण शुल्क की कम वसूली, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली/कम वसूली, आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की अवसूली/कम वसूली, आगत कर का मिसमैच, कर देयताओं का मिसमैच, अपात्र एवं रद्द करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जारी करना आदि का पता चला।

वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 9,172 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजस्व राशि ₹ 791.76 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 754.08 करोड़ राशि के 6,871 मामले 2022-23 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 2022-23 के दौरान विभागों ने 2,047 मामलों में ₹ 18.10 करोड़ वसूल किये।

1.10 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

प्रतिवेदन के इस भाग में 16 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 565.73 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 490.57 करोड़ (मार्च 2025 तक) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। स्वीकृत लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से, विभागों ने मार्च 2025 तक ₹ 10.34 करोड़ की वसूली की जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹ 18.10 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 27.89 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 56.33 करोड़ थी।

---

11 पाँच प्रतिवेदन संबंधित हैं: भू-राजस्व (दो), पंजीयन एवं मुद्रांक (दो) एवं वाणिज्यिक कर विभाग (एक)।